विधान परिषद् के द्वितीय सत्र, 2025 के 1 -मंगलवार के लिए निर्धारित श्री पवन कुमार सिंह, मा० सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न स०- 33 का उत्तर

प्रश्न	**उत्तर**
33 (क) क्या कृषि विपणन मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड-एलिया हरगांव महोली मार्ग से ग्राम जार तक सड़क की दूरी जो 01 किमी० है काफी जर्जर है, जिससे नागरिकों को आवागमन में परेशानियों को सामना करना पड़ता है?	जी हां। जनपद सीतापुर के विकास खण्ड एलिया क्षेत्रान्तर्गत मा० सदस्य के प्रश्न से सम्बन्धित सम्पर्क मार्ग हरगांव महोली मार्ग से ग्राम जार तक, मण्डी परिषद द्वारा सम्पर्क मार्ग "अल्लीपुर बण्डिया से टिकरा जार तक" के नाम से निर्मित है, जिसकी लम्बाई 2.88 कि०मी० है। प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य मण्डी परिषद द्वारा दो चरणों में कराया गया था। प्रथम चरण में लम्बाई 1.50 कि०मी० का निर्माण कार्य वर्ष 1998 एवं द्वित्तीय चरण में लम्बाई 1.38 कि०मी० का निर्माण कार्य वर्ष 2001 में कराया गया था। गड्ढामुक्तिकरण योजनान्तर्गत प्रथम चरण में निर्मित कराये गये भाग लम्बाई 1.50 कि0मी0 की मरम्मत का कार्य वर्ष 2017-18 में कराया गया था जो वर्तमान में क्षतिग्रस्त एवं मरम्मत योग्य है। द्वितीय चरण में निर्मित कराये गये भाग लम्बाई 1.38 कि०मी० की मरम्मत का कार्य 2022-23 में कराया गया था, जो वर्तमान में संतोषजनक स्थिति में एवं मण्डी परिषद द्वारा निर्धारित डिफेक्ट लाइबिल्टी पीरियड में है।
(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु सड़क का निर्माण करायेंगे?	सम्पर्क मार्गो के अनुरक्षण हेतु लोक निर्माण अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 22.11.2013 द्वारा निर्गत "उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013" में निर्धारित की गई व्यवस्था एवं दिनांक 16.01.2024 द्वारा निर्धारित नयी नीति के अनुसार प्रथम चरण में निर्मित एवं वर्तमान में क्षतिग्रस्त भाग लम्बाई 1.50 कि०मी० के मरम्मत हेतु मार्ग को आगामी कार्ययोजना में सम्मिलित कर तत्समय मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत मार्ग की मरम्मत की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
(ग) यदि हॉ, तो कब तक?	उपर्युक्तानुसार।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों	उपर्युक्तानुसार।

दिनेश प्रताप सिंह
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग,
उत्तर प्रदेश।